न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./39/2022/बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. विरधाराम पुत्र अखाराम का.मु. **बनाम** 1.राऊराम पुत्र तुलछाराम का.मु. वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/4 व 3/2 की ओर से।
3. वकील श्री नरपत पूनड़ रेस्पोडेंट संख्या 6/1/2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–11.09.2023

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि मौजा खींपर तहसील बाड़मेर में रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 मुश्तरका खातेदारी का खेत खसरा संख्या 443 रकबा 242.08 बीघा मौसुमा ढाणी वाला आया हुआ है जो कदीम से रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 का काश्त मकबुजा है तथा सब हकूक खातेदारी के रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 को हासलि है तथा इस खेत ढाणी वाला का पट्टा भी दीगर खसराजात 90, 116, 142 सरहद मौजा खीपर वालो के साथ में एक ही महकमे सैटलमेंट का जारी हुआ जिसकी नकल साथ पेश है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटगण के पूर्वज विरदा वल्द अखा को उतरदातागण के पूर्वजों ने नही होने दी ओर बाले बाले तरीके से अपीलांटगण के पूर्वजों की अनुपस्थिति में एकतरफा राजीनामा पेश कर गलत ढंग से अपीलांटस के कब्जे काश्त कर भूमि अपने नाम करवा दी ओर आलोच्य निर्णय पारित करवा दिया। आज से अर्सा 15–20 दिन पूर्व निर्णय व डिक्री की आड़ में गलत तरीके से दर्ज राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का फायदा उठाते हुऐ गैरकानूनी तरीके से अपीलांटगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने व जबरन काबिज होने का प्रयास किया गया तब अपीलांटगण द्वारा राजस्व अधिकारियों व हल्का पटवारी से वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड प्राप्त किया तब सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.1964 की जानकारी हुई। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की फरमाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2020(Rev) Page 115
RRT 2008(1) Page 1406
RRT 2017(2) Page 1105
RRT 2018(1) Page 601

अधिवक्तागण रेस्पोडेंटस रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/4 व 3/2 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.1964 के विरूद्ध दिनांक 06.04.2022 को यानि तकरीवन 58 वर्ष के वाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को वास्तविक जानकारी दिनांक 18.03.1964 को हो गई थी, क्योंकि इस वाद की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपीलांटस को रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उभयपक्ष की वहस सुनी गई जिसमें अपीलांटस/वादी के वकील ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की है। अपीलाधीनअपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2014(10 Page 154
RRT 2009-10 Page 535
RRT 2017(1) Page 117
RRT 2018-19 Page 218
RRT 2009-10 Page 202
RRT 2010 Page 801

अधिवक्तागण रेस्पोडेंटस रेस्पोडेंट संख्या 6/1/2 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस की अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाई जाती है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.1964 को हस्तगत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अपीलांटस के पिता विरुधा वल्द अखा स्वयं वादी था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस/वादी के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर वक्त बहस सहमति जाहिर की तत्पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। मूल प्रकरण में निर्णय पारित होने के बाद लगभग 58 वर्ष की एक लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने पर हस्तगत मामला पेश किये जाने के फलस्वरूप प्रथमतः हस्तगत अपील मियाद से बाधित होना प्रकट होता है। प्रकरण में कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत प्रार्थी ने भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना–पत्र में जिन कारणों का उल्लेख किया है, उनका अध्ययन किया गया। वाद अध्ययन न्यायालय का निष्कर्ष है कि धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अत्यधिक विलम्ब कारित करने के उल्लेखित कारण ऐसे प्रकट नहीं होते है जिन्हें सद्भावी व पर्याप्त मानकर उनके आधार पर 58 वर्ष की एक लम्बी मियाद को क्षम्य किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से मामले में अत्यन्त भारी रूप से कारित विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 58 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर